

कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल, म.प्र.—

Email id - deo.mpedbpl@mp.gov.in, Phone no 0755-2540771

क्रमांक/आब./स्था./2021/3689
प्रति,

भोपाल, दिनांक...13/8/21

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला भोपाल ।

विषय :- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुप्रमाणन फार्म भेजने के संबंध में ।


—00—

विषयान्तर्गत इस कार्यालय में कार्यरत श्री प्रमोद शर्मा, आबकारी आरक्षक का कोविड महामारी से निधन हो जाने से उनके पुत्र दिव्यांश शर्मा, की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर की ओर भेजा जाना है ।


अतः श्री दिव्यांश शर्मा, निवासी 175, नैनागिरी जे.के. रोड भोपाल, (मोबाइल नम्बर 6260619804) से निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाणन फार्म में जानकारी प्राप्त कर इस पत्र के साथ संलग्न कर (तीन प्रतियों में) भेजी जा रही है। कृपया नियमानुसार कार्यवाही उपरांत चरित्र प्रमाण देने का कष्ट करें, जिससे अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सके ।

संलग्न :- अनुप्रमाणन फार्म ।

पृ.क्र./आब./स्था./2021/3690
प्रतिलिपि :-


सहायक आबकारी आयुक्त
जिला भोपाल
भोपाल, दिनांक...13/8/21

श्री दिव्यांश शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रमोद शर्मा, निवासी 175, नैनागिरी जे.के. रोड जिला भोपाल, (मोबाइल नम्बर 6260619804) की ओर सूचनार्थ ।


सहायक आबकारी आयुक्त
जिला भोपाल

अनुप्रमाणन फार्म



- अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता मानी जावेगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जावेगा।
- यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषी सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है तो ब्यौर, यथास्थिति राज्य लोक सेवा को जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिए अन्यथा यह माना जायेगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौर प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था आदि भले ही मामले में अंतिम रूप में प्रतिवेदित कर दिये हो (खात्मा) वापस ले लिये हों, या उनमें अन्ततः दोषमुक्त हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो।
- यदि तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आने तो उसकी सेवार समाप्त की जा सकेगी।

1. आवेदक का पूरा नाम, (स्पष्ट अक्षरों में) उपनाम कुल नाम (सरनेम) शर्मा
(यदि आपसे किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ना हो या हटाना हो कृपया उसका उल्लेख करें।) पूरा नाम दिवांग

2. वर्तमान पूरा पता
अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला 175 नैनागिरी जे.के रोड भोपाल म.प्र
या घर क्रमांक / गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर और राज्य,
जिसमें वह स्थित हो

3. क घर का पूरा पता
अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला 175 नैनागिरी जे.के रोड भोपाल म.प्र
या घर क्रमांक / गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर और राज्य,
जिसमें वह स्थित हो

ख यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो
तो उस देश में आपका पता या
भारतीय संघ में प्रवास की तारीख।

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौर जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौर दिये जाने चाहिये जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

| कब से | कब तक | निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला अर्थात् घर क्रमांक, गली, मार्ग सड़क तथा नगर) | पूर्व खाने में उल्लेखित स्थान मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो |
|-------|-------|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

5. क. पिता का पूरा नाम तथा उप नाम यदि हो तो प्रमोद कुमार शर्मा

ख. वर्तमान डाक पता
(यदि स्वर्णवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए) 175 नैनागिरी जे.के रोड भोपाल म.प्र

ग. घर का स्थाई पता 175 नैनागिरी जे.के रोड भोपाल म.प्र

घ. व्यवसाय शासकीय सेवक

ड. यदि किसी सेवा में हो तो
उनका पद नाम तथा
कार्यालय का पता दीजिए

व्यक्तियों की राष्ट्रीयता

पिता

भारतीय

माता

भारतीय

(ग) पति - पत्नी

(घ) उम्मीदवार

भारतीय

2. जीवन साथी (पति / पत्नी) का जन्म स्थान

7. क. आपकी जन्मतिथि 03/10/1999

ख. वर्तमान आयु 21

ग. मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु 15

8. क. आपका जन्म स्थान भोपाल जिला भोपाल तथा राज्य म.प्र

ख. वह स्थान जहां के आप निवासी हैं भोपाल जिला भोपाल राज्य म.प्र

9. क. आपका धर्म हिन्दू

ख. क्या आप अनु.जाति / जनजाति सदस्य हैं (उत्तर दीजिए) हां या नहीं

यदि आपका उत्तर हां में है तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए

10. शैक्षणिक अर्हताएँ वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं एवं महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो

| स्कूल / कॉलेज का नाम व पूरा पता | प्रवेश की तिथि | छोड़ने की तारीख | उत्तीर्ण परीक्षा |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| सेंट पॉल उ.मा विद्यालय | 2014 | 2015 | 10th |
| सेंट पॉल उ.मा विद्यालय | 2016 | 2017 | 12th |
| एच. एन. सी. टी. महा विद्यालय | 2017 | 2021 | बी.टेक (आई.टी.) |

यदि आप कभी विनियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए

| धारित पद का नाम कार्य का स्वरूप | अवधि | | कार्यालय फर्म अथवा संस्था का पूरा पता | छोड़ने का कारण |
|------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|----------------|
| | कब से | कब तक | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है ? क्या आप कभी निरुद्ध किये हैं ? क्या आपसे मुचलका लिया गया है आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं / जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है ? उसके लिए अनर्हत ठहराया गया है या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है निष्काशित किया गया है ?

ख. क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/ संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लम्बित है

यदि उपरोक्त (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हां में हो तो आपको अनुप्रमाणन फार्म भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोष सिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय विश्वविद्यालय / शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लम्बित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जायेंगे -

(एक) अपराध/आरोप

(दो) पुलिस थाने में पंजीबद्ध

(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम

(चार) मामले का क्रमांक/न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तिथि को किया गया

(पांच) दिया गया दण्ड

(छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया

(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापिस ले लिया गया था।

ग. क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया है के सदस्य हैं या उससे सहयोजित रहे हैं। यदि ऐसा हो तो पूर्ण विशिष्टता दें जैसे संगम/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा सम्बद्धता की कार्यावधि/अवधि इत्यादि।

टिप्पणी : अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे,
अभ्यार्थी अनुप्रमाणन फार्म में दी गई चेतावनी नोट करें।
न्यायालय से तथ्यों के आधार पर दोषमुक्त प्रत्याशी सेवा के योग्य होगा।

स्थान

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक

आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो निवेशियों (रैफरियों) के नाम जो आपको जानते हों

1. सानत राव देशमुख (8097913626)

2. कमलेश शर्मा (9826298912)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। मैं ऐसे किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती है। मैं इस बात में सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के सम्बन्ध में असत्य या अपूर्ण पाई जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा।

स्थान

दिनांक

13/08/21

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पहचान प्रमाण-पत्र

निम्न पत्र पर निम्नलिखित में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिये -

- (एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी
- (दो) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य
- (तीन) सब डिबोर्जनल मजिस्ट्रेट अधिकारी
- (चार) तहसीलदार / नायब तहसीलदार (उप) जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो।
- (पांच) शासकीय तथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख
- (छः) खण्ड विकास अधिकारी
- (सात) पोस्ट मास्टर
- (आठ) पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

हिप्पोटा शर्मा

पिता/पति का नाम श्री प्रमोद शर्मा को लगभग पिछले 6 वर्ष 8 माह

जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे जहां मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, कि वे सही हैं।

स्थान

सीपल

पदनाम या

हस्ताक्षर
राजेश्वर जैन

सहायक जिला आबकारी अधिकारी

दिनांक 13/08/2021

स्थिति तथा पता जिला भोपाल (म.प्र.)

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम / पदनाम और पता

आबकारी आयुक्त, मोर्चाक्षेत्र जवाहर (म.प्र.)

(दो) वह पद जिसके लिये उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है

(सहा. ग्रे-3)

शपथ पत्र



मैं हिचांछा शर्मा आयु 21 पुत्र/पुत्री/पत्नि हिचांछा शर्मा
निवासी प्रोवाह लिविक शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ- पद पर हुआ है।

1. यह मेरा चयन
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझे पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य हैं।
8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता हिचांछा शर्मा सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की कड़िका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक 13/8/21 को प्रोवाह में किया गया है।

शपथग्रहिता

कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल, म.प्र.-

Email id - deo.mpedbpl@mp.gov.in, Phone no 0755-2540771

कमांक / आब. / स्था. / 2021 / 3687
प्रति,

भोपाल, दिनांक... 13/8/21

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जे.पी. अस्पताल -1250
जिला भोपाल ।

विषय :- स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र के संबंध में ।
-00-

विषयान्तर्गत इस कार्यालय में कार्यरत श्री प्रमोद कुमार शर्मा, आबकारी आरक्षक का कोविड महामारी से निधन हो जाने से उनके पुत्र दिव्यांश शर्मा, की अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र को आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर की ओर भेजा जाना है।

अतः श्री दिव्यांश शर्मा, निवासी 175, नैनागिरी जे.के. रोड भोपाल, (मोबाइल नम्बर 6260619804) की नियमानुसार जांच उपरांत स्वास्थ्यता प्रमाण देने का कष्ट करे, जिससे अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सके।

✓ सहायक आबकारी आयुक्त
जिला भोपाल
भोपाल, दिनांक.....

पृ.क. / आब. / स्था. / 2021 / 3688
प्रतिलिपि :-

श्री दिव्यांश शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रमोद शर्मा, निवासी 175, नैनागिरी जे.के. रोड जिला भोपाल, (मोबाइल नम्बर 6260619804) की ओर सूचनार्थ।

✓ सहायक आबकारी आयुक्त
जिला भोपाल